



राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह कोटा
रंगबाडी रोड, सेक्टर-ए, रंगबाडी, कोटा 324005

दूरभाष न० 0744-2470674 || E-mail Id: principal.mc.kota@rajasthan.gov.in || वेबसाइट : http://www.education.rajasthan.gov.in/gmc


क्रमांक : प2(27) स्था० अराज०/वेतन स्थरीकरण /2021/667 दिनांक:- 25/3/21

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग जयपुर से प्राप्त पत्रांक प.1(6) प्र.सु./अनु-3/2017/जयपुर दिनांक 14.02.2019 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित कनिष्ठ लिपिकों की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के अर्न्तगत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोटा आवंटित होने के उपरान्त इस संस्थान के आदेश क्रमांक : प2()स्था० अराज०/नियुक्ति/क०सहा./2019/400 दिनांक:-25.02.2019 से नियुक्त होने पर उपस्थिति दिनांक 25.02.2019 मध्यान्ह पश्चात से 02 वर्ष परीक्षाकाल पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 24.03.2021 से स्थाई किया जाकर राज्य सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी. (रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार निम्नांकित कर्मचारी का वेतन परीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि से पे मेट्रिक्स के लेवल-05 का न्यूनतम वेतन रू० 20800/- एवं अन्य भत्ते स्वीकृत किये जाते हैं।

श्री हितेश गुप्ता, कनिष्ठ सहायक द्वारा प्रोबेशन काल में दिनांक 03.05.2019 से 28.06.2019 तक 57 दिवस का असाधारण अवकाश लेने के कारण नियम वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) के मेमोरेण्डम क्रमांक NO. F-1(2)FD/Rules/2006-I Dt.08-08-2019 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार 30 दिवस असाधारण अवकाश से अधिक अवधि अर्थात् 27 दिवस प्रोबेशनकाल आगे बढ़ाया गया है।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम मय पद	कार्यग्रहण तिथि	असाधारण अवैतनिक अवकाश	प्रोबेशनकाल बढ़ाने की अवधि	प्रोबेशन पूर्ण करने की तिथि	वेतनमान स्वीकृत करने की तिथि	कुल वेतन
1.	श्री हितेश गुप्ता, कनिष्ठ सहायक	25.02.2019 मध्यान्ह पश्चात	57 (30+27)	27 दिवस	24.03.2021	25.03.2021	20800/-


25/3/21
(डॉ० शिव कुमार)
अतिरिक्त प्रधानाचार्य

क्रमांक : प2(27) स्था० अराज०/वेतन स्थरीकरण /2021/667 दिनांक:- 25/3/21
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा राज. जयपुर
2. अतिरिक्त प्रधानाचार्य (प्रथम) चिकित्सा महाविद्यालय कोटा
3. मुख्य लेखाधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय कोटा
4. संबंधित कर्मचारी
5. वेतन बिल अराज।
6. निजी पत्रावली/कार्यालय प्रति



अतिरिक्त प्रधानाचार्य